

# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नं. 0141 2228066, फैक्स नं 0141 2228065

ई-मेल : [rmisc@nic.in](mailto:rmisc@nic.in)

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: [www.health.rajasthan.gov.in](http://www.health.rajasthan.gov.in)

संक्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यूसी/2021-22/1986

दिनांक : 24.03.2022


## कार्यालय आदेश

M/s Alliance Biotech, 440/3,VIII, Katha, Baddi, Solan (H.P.)-173205 की निविदा क्रमांक 02(268)/RMSC/Proc./Drug/NIB 10/2019/834 dated 09.07.2019 के तहत औषधि Atorvastatin Tab IP 10mg[187] की दरो के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 2865 dated 28.11.2019, जारी dated 28.04.2020 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट किये जाने पर औषधि के 02 बैचों को अमानक कोटि का घोषित किया गया। तत्पश्चात् नमूने को पुनः जाँच हेतु केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकत्ता भेजा गया, जिसमें औषधि के 02 बैच ATT-189, M/D-12/2019, E/D- 11/2021 एवं ATT-276, M/D-05/2020, E/D- 04/2022 को Dissolution Test में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई। इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

प्रकरण में बैच संख्या ATT-189, M/D-12/2019, E/D- 11/2021 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 को आयोजित की गई , में रखा गया। अनुशासनात्मक समिति के निर्णयानुसार फर्म की औषधि Atorvastatin Tab IP 10mg[187] को निगम के आदेश क्रमांक 1525 दिनांक 07.01.2022 से 01 ( एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया गया था। चूंकि केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, कोलकत्ता द्वारा बैच नम्बर ATT-276, M/D-05/2020, E/D- 04/2022 को भी Dissolution Test में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि होने से अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 15.03.2022 को आयोजित की गई में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। फर्म द्वारा अमानक कोटि औषधि के दो बैचों (ATT-189, ATT-276) की आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन व निविदा की शर्त के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Grossly Substandard की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जित दिशा-निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28.08.2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Alliance Biotech, 440/3,VIII, Katha, Baddi, Solan (H.P.)-173205 की औषधि Atorvastatin Tab IP 10mg[187] को विभाग के पूर्व में जारी आदेश दिनांक 07.01.2022 से 02(दो) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा प्रोसेसमेंटशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई नुकूल प्रभाव डाले की गई है।

  
अनुपमा जोरवाल  
आइ.ए.एस  
प्रबन्ध निदेशक

## मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना



Government of Himachal Pradesh

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2021-22/1986

दिनांक : 24.03.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
4. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पी.एच./आर.सी.एच./एच.ए./ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ औषधि नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं सं.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/s Alliance Biotech, 440/3, VIII, Katha, Baddi, Solan (H.P.)-173205
14. आदेश पत्रावली।

24  
कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)